...The Times of India', Sept. 8, 2005)

II. लड़कियों की शिक्षा में बाधक कारक

भारत में अभी तक लड़कियों का बहुत बड़ा प्रतिशत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ने नहीं जाता, इसके कई महत्त्वपूर्ण कारण बताये जाते हैं—

1. गाँवों और शहरी गन्दी बस्तियों (Slums) के अधिकतर माता-पिता बहुत निम्न सामाजिक- आर्थिक वर्ग (Lower Social Class) के लोग होते हैं जो बहुत गरीब हैं। वे इतने गरीब हैं कि अपनी लड़कियों को पढ़ाने भेजने के लिए पाठशालाओं में जो भी थोड़ी-सी फीस प्रतिमाह देनी पड़ती है, वह नहीं दे सकते। वहाँ भेजने के लिए उनको पाठशाला की ड्रेस या अच्छे कपड़े, जूते, पुस्तकों, स्टेशनरी, आदि भी प्रदान करना होता है जिसके लिए उनके पास धन नहीं होता है।

2. उन निर्धन माता-पिताओं में स्वयं के अशिक्षित और पिछड़े हुए होने के कारण यह विचार नहीं होता कि इनको अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उनके परिवारों में कई सन्तानें होती हैं, लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहिनों को सँभालने के लिए और घर का काम-काज करने के लिए घर पर ही रहना जरूरी होता है, क्योंकि उनके माता-पिता प्राय: मजदूरी या कोई काम करने या खेती, आदि करने जाते हैं।

3. भारत की पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में अधिकतर पिछड़े हुए और परम्परागत लोगों में यह जबर्दस्त सांस्कृतिक अभिनति (Cultural Bias) चली आ रही है कि लड़की तो उनके पास कुछ वर्षों तक ही रहेगी विवाह होने पर तो उसे दूसरे घर (परिवार) में जाना ही होगा, तो फिर उसको पढ़ाने-लिखाने पर क्यों खर्च किया जाये। इसीलिए बहुत से परिवार अपने लड़कों को तो पास की पाठशाला में पढ़ने भेज देते हैं परन्तु अपनी लड़कियों को वहाँ नहीं भेजते। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा वे उत्तम भोजन, वस्त्र, सुविधाएँ व व्यवहार प्रदान करते हैं और लड़कियों को बोझ समझा जाता है। कई मध्यम वर्ग के ग्रामीण और शहरी समाजों में भी यही प्रवृत्ति कार्य करती है।

4. निर्धन परिवारों के लोग (विशेषकर निम्न जातियों/अनुसूचित जातियों और जनजातियों) मध्यम और उच्च वर्गों के घरों में अपनी छोटी-छोटी लड़कियों (7-8 वर्ष से ऊपर की आयु की) को नौकरानी का काम—सफाई, कपड़े धोने, खाना बनाने, आदि के लिए अथवा स्थानीय उद्योग-धन्धों जैसे माचिस बनाना, बीड़ी बनाना, बारूद के खिलौने बनाना, आदि को करने के लिए रोज की कमाई के लिए भेज देते हैं। आर्थिक विवशता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।

5. बहुत से गाँवों और बस्तियों में एक ही कॉमन प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठशाला होती है जिसमें लड़कों-लड़कियों को साथ-साथ पढ़ना होता है। बहुत से भारतीय माता-पिता अपनी लड़कियों को ऐसी पाठशालाओं में लड़कों के साथ वहाँ पढ़ने के लिए भेजना पसन्द नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि लड़के उनको बिगाड़ देंगे।

Scanned with CamScanner

6. यह एक महत्त्वपूर्ण बात भी देखने में आयी है कि जिन पाठशालाओं में पुरुष शिक्षक पढ़ाते हैं, वहाँ लड़कियों के माता-पिता अपनी लड़कियों को उनमें पढ़ने नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें पुरुष शिक्षकों द्वारा उनको बिगाड़ देने का आन्तरिक भय बना रहता है। कई पुरुष शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने व यौन शोषण करने के मामले गाँवों, कस्बों और शहरों में प्रकाश में आये हैं। अधिकतर युवा शिक्षकों के पास सभी माता-पिता अपनी बालिकाओं और किशोरियों को पढ़ाने से हिचकिचाते हैं।

Scanned with CamScanner

7. कई स्थानों पर पाठशालाएँ बहुत दूरी पर स्थित होती हैं, आने-जाने की उत्तम सुविधा नहीं होती, मार्ग में लड़कियों का आना-जाना बहुत असुरक्षित होता है, अत: छोटी-छोटी लड़कियों को वहाँ पढ़ने नहीं भेजा जाता। कई शहरों, कस्बों के आवारा और अपराधी प्रवृत्ति के लड़कों/लोगों का आतंक रहता है।

8. बहुत-सी लड़कियों को कई शिक्षिकाएँ प्राय: मारती-पीटती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, ताने मारती हैं, निर्धन होने के कारण उन लड़कियों को डाँटती-डपटती रहती हैं और उनसे झाड़ू लगवाना, आदि भी करने को बाध्य करती हैं, जिससे घर कार्य न करके लाने पर या आवश्यक पुस्तकें, स्टेशनरी या पाठशाला द्वारा समय-समय पर मँगवाये गये चन्दे (जो अनुचित हैं) न ला पाने पर उनको प्रताड़ित करती हैं। इससे लड़कियों की हिम्मत टूट जाती है और वे पढ़ना छोड़कर बैठ जाती हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्ली की एक सरकारी पाठशाला की शिक्षिका ने एक किशोर लड़की को कक्षा में कपड़े उतारने व नंगा होने का दण्ड दिया था, जिसकी बहुत निन्दा हुई थी।

9. अधिकतर निम्न वर्ग के परिवारों तथा ग्रामीण और गन्दी बस्तियों की लड़कियों का उच्चारण ठीक नहीं होता, भाषा-ज्ञान ठीक नहीं होता, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय कठिन लगते हैं, अत: उनके कारण वे पाठशाला जाना बन्द कर देती हैं।

10. जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, भारत में लगभग 50 प्रतिशत लड़कियों के बाल-विवाह होते हैं— 8-10 आयु की बालिकाओं के भी विवाह हो जाते हैं, अत: जो लड़कियाँ निरक्षर होती हैं या 3-4 कक्षा तक ही पढ़ती हैं, विवाह बन्धन में बँध जाने को विवश होती हैं। मध्य प्रदेश में हुए एक हाल के सर्वेक्षण के अनुसार 14% कन्याओं के विवाह 10 और 14 वर्ष की आयु के बीच में हो जाते हैं।

11. यद्यपि भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार अब तक 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह गैर-कानूनी माना जाता हैं, तथापि अभी हाल में ही देहली हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में एक मामले में एक चौंका देने वाला निर्णय दे दिया है कि 15 वर्ष से अधिक की लड़की का विवाह अवैध नहीं माना जा सकता यदि लड़की ने अपनी सहमति से ऐसा कर लिया हो। कई संस्थाएँ व महत्त्वपूर्ण व्यक्ति इस निर्णय के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने का प्रयास करने वाले हैं।

Scanned with CamScanner

12. कई वर्गों की लड़कियों, जैसे पर्दानशीन मुस्लिम समाज, घुमन्तू वर्ग (Nomadic communities), मजदूरों की लड़कियाँ, चिथड़े व फेंके गये कूड़ा-करकट बीनने वाली (Rag- picker) लड़कियों, भिखारिनों, वेश्याओं, घरेलू नौकरानियों की लड़कियों और विकलांग लड़कियों को पाठशालाओं में जाकर पढ़ना प्रायः असम्भव है। उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा इतनी निम्न और दयनीय स्थिति में होती है कि यह सम्भव नहीं हो पाता। इस श्रेणी में लगभग दो-तीन करोड़ लड़कियाँ आती हैं जिनको कभी शिक्षा सुविधा नहीं मिल पाती है और न ही कभी सम्भवतः मिल पायेगी।

13. गाँवों और कस्बों की अधिकांश सरकारी और निजी पाठशालाओं में बहुत घटिया स्तर की शिक्षा है। लड़कियाँ रोज वहाँ जाती हैं और शिक्षिकाओं की कमी के कारण, अयोग्य व गैर-जिम्मेदार शिक्षिकाओं के निम्न स्तरीय व नीरस शिक्षण के कारण, बिना कुछ सीखे लौट आती हैं। उन पाठशालाओं का निरन्तर और सख्ती से निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु वह नहीं होता। जब होता भी है तो वह रस्मी प्रकार का अप्रभावशाली होता है।

14. अधिकांश पाठशालाओं में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होने के कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता है और वे कुछ समय बाद उन्हें छोड़ बैठती हैं। कई पाठशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है।

इन विविध कारणों से भारत की लगभग आधी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित बनी हुई हैं।

III. लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले सरकारी प्रयास

ये प्रयास निम्न प्रकार हैं—

1. भारत में कई राज्यों में प्राथमिक स्तर तक, कुछ में माध्यमिक स्तर तक, कुछ में उच्च माध्यमिक स्तर तथा कुछ में कॉलेज स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का सरकारी प्रावधान लागू किया गया है। हरियाणा में 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया है। आप अपने राज्य के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सरकारी शिक्षा विभाग में मुख्य कार्यालयों व जिला कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें।

2. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं को होस्टल तथा बोर्डिंग (भोजन) की सुविधाएँ केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जा रही हैं। अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्रा 10,000 रुपये होस्टल व बोर्डिंग के रूप में अनुदान दिया जाता है और पुस्तकों, फर्नीचर, बर्तनों, मनोरंजन के साधनों के लिए एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। —*India* 2003

3. दिनांक 23 सितम्बर, 2005 के 'The Times of India' में यह समाचार छपा था कि दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को भारत सरकार ने यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है कि—

- प्रत्येक परिवार की एकमात्र लड़की को कक्षा VI से XII तक निःशुल्क शिक्षा (Free Education) वर्तमान सत्र 2005-06 से प्राप्त हो पायेगी।
- सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली (CBSE) से मान्यता प्राप्त सभी पाठशालाओं को प्रत्येक ऐसी छात्रा की पूरी फीस माफ करनी पड़ेगी जो अपने माता-पिता की एकमात्र लड़की है।
- इसी प्रकार यदि किसी परिवार में दो लड़कियाँ हैं जो उपर्युक्त प्रकार की पाठशाला में पढ़ती हैं तो उन दोनों की 50% फीस माफ होगी, उन्हें 50% प्रतिशत फीस ही पाठशाला को देनी होगी। इस फीस में ट्यूशन फीस और अन्य सभी फीसें (यातायात और भोजन के शुल्क को छोड़कर) चाहे उनके कोई नाम हों, शामिल मानी जायेंगी।
- विश्वविद्यालय आयोग (UGC) को भी ऐसी व्यवस्था करने को कहा गया है कि उससे सम्बद्ध प्रत्येक कोर्स व कॉलेज को एक परिवार की एकमात्र लड़की को, जो उस संस्था/कोर्स की छात्रा है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी।
- ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की ऐसी छात्रा को, जो अपने परिवार की एकमात्र लड़की है, स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

— मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सों को छोड़कर अन्य सभी ग्रेजुएट कोर्सों में ₹ 500 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप ऐसी छात्रा को दी जायेगी और मेडिकल या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की छात्रा को ₹ 1000 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप मिलेगी तथा इनके पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की छात्रा को ₹ 2000 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप मिलेगी।

— उपर्युक्त सुविधाओं का व्यय उन संस्थाओं को स्वयं वहन करना होगा।

— CBSE बारहवीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम के आधार पर 550 स्कॉलरशिपें (प्रत्येक ₹ 500 प्रतिमाह की) अण्डरग्रेजुएट स्तर (बी. ए. स्तर) तक संस्था ऐसी छात्रा को प्रदान करेगी।

कई पब्लिक स्कूलों के प्रबन्धक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा दिनांक 21.11.2005 के समाचार पत्रों में छपा है।

ये नवीनतम सरकारी प्रयास नि:सन्देह भारत में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और तीव्रता से बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन भ्रष्ट निजी संस्थाओं द्वारा किस सीमा तक इन सुविधाओं को वास्तव में प्रदान किया जायेगा, यह कहना कठिन है क्योंकि उनमें इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। उनको नियन्त्रित और दण्डित करने की जो कठोर व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, उनको अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है।

IV. लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव

सुझाव निम्न प्रकार हैं—

1. 'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया' दिनांक 19 सितम्बर, 2005 में छपे समाचार के अनुसार नई दिल्ली की एक प्रगतिशील संस्था FICCI Ladies Organization ने 'Towards Education for Every Girl Student : Issues and Challenges' विषय पर एक पेनल डिस्कशन सितम्बर, 2005 में आयोजित किया था। उसमें निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सुझाव विद्वानों द्वारा दिये गये थे—

- "शिक्षा जीवनों तथा समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है। यदि शिक्षा अभिनति (Biases) या राग-द्वेष से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है तो इसके पीछे छिपे हुए एक प्रयोजन को भी पूरा करती है जो कि आपको प्रश्न करने की क्षमता का विकास करने की आवश्यकता है।"

  —**आबिद हुसैन,** सदस्य यूनेस्को के विकास और प्रजातन्त्र का अन्तर्राष्ट्रीय पेनल

- "शिक्षा का अर्थ ज्ञान को (मस्तिष्क में) उँड़ेलना मात्र ही नहीं होना चाहिए अर्थात् उनके (लड़कियों/महिलाओं के) मस्तिष्क के बर्तनों में ज्ञान को भरना। यह प्रवृत्ति स्त्री समुदाय को कमजोर बनायेगी, बजाय उनको सशक्त बनाने के।"

  —**सुदीप बैनर्जी,** सचिव, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, केन्द्रीय मानव संसाधन मन्त्रालय

- "पाठशालाओं में और अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करके तथा स्थानीय लोगों को पाठशालाओं की देखभाल करने की शक्तियाँ देकर लड़कियों की शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। यदि स्थानीय क्षेत्र के लोगों—विद्यार्थियों के माता-पिता, सेवानिवृत्त अधिकारियों, स्त्रियों, आदि की एक कमेटी बनायी जाये और एक पाठशाला में शिक्षिकाओं की नियुक्ति और वहाँ के अन्य कार्यों को करवाने में उनको शामिल किया जाये, तो विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतरी होगी।" —**प्रो. अमरीक सिंह,** भूतपूर्व कुलपति, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला

उक्त पेनल वार्तालाप में ध्यान आकर्षित कराया गया कि निम्नांकित कारक लड़कियों की शिक्षा में अवरोधक (रुकावट) का कार्य करते हैं—

- प्राय: घरों से पाठशालाएँ काफी दूरी पर हैं, लड़कियों को उन तक पहुँचना कठिन होता है।
- लड़कियों को अपने घर पर छोटे भाई-बहनों की देखभाल (Sibling care) करनी पड़ती है।
- कई पाठशालाओं में निम्न स्तर (किस्म) की शिक्षा दी जाती है।

Scanned with CamScanner

- कई पाठशालाओं में लड़कियों के लिए शौचालयों का अभाव है।
- परिवार और समाज में लड़कियों के साथ असमानता का बर्ताव किया जाता है।

2. कई विद्यालयों और अधिकतर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के साथ यौन-सम्बन्धी छेड़छाड़ की जाती है और उनके यौन-शोषण का प्रयास (बलात्कार आदि) होता है जिसमें न केवल पुरुष विद्यार्थी अपितु पुरुष शिक्षक, प्रशासक और अन्य कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार की यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पूर्व यह आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों और पाठशालीय शिक्षा विभागों में यौन प्रताड़ना (Sexual harassment) को रोकने के लिए एक कमेटी बनाया जाना अनिवार्य है जो महिला-विद्यार्थियों व महिला-शिक्षकों की यौन-प्रताड़ना सम्बन्धी सभी शिकायतों को सुने और निर्णय के व दण्ड प्रदान करने की सिफारिशें उच्च अधिकारी को दे। सभी शिक्षा संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, उसे बनाया जाना चाहिए।

3. किशोर आयु वर्ग की तथा वयस्क छात्राओं और शिक्षिकाओं को छेड़छाड़ करने वाले तथा यौन प्रताड़ना देने वालों से सुरक्षित होने के लिए आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि आजकल सभी स्थानों पर ऐसी असामाजिक घटनाएँ बढ़ रही हैं। दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2005 में कई पाठशालाओं की युवा शिक्षिकाओं को एक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करवाया है। उस प्रशिक्षण को 'प्रोजेक्ट रक्षा' नाम दिया गया है।

—**दी हिन्दुस्तान टाइम्स,** 4 सितम्बर, 2005

लड़कियों और महिलाओं को असामाजिक तत्त्वों से स्वयं की रक्षा करने के लिए आजकल समाचार पत्रों में दिल्ली पुलिस तथा एक उत्पादक द्वारा कुछ सुरक्षा उपाय प्रचारित किये जा रहे हैं।

शहरों में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे कदमों को उठाना अब आवश्यक हो गया है।

Scanned with CamScanner

4. सहशिक्षा वाली पाठशालाओं में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा छात्राओं के साथ की जा रही बदसलूकी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही यह निर्णय लिया है कि लड़कियों की अलग पाठशालाएँ हों। यद्यपि आधुनिक काल में सहशिक्षा को उचित माना जाता है, तथापि बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अधिकांश माता-पिताओं द्वारा उचित माना गया है।

Scanned with CamScanner

5. अधिकतर कन्या पाठशालाओं में शिक्षिकाओं की जगहें खाली होती हैं, उन्हें काफी समय से भरा नहीं जाता, कुछ शिक्षिकाएँ सुयोग्य और उत्साही नहीं होतीं, विशेषकर गाँवों और निर्धन और पिछड़ी बस्तियों में। अत: उनमें शिक्षा का स्तर बहुत निम्न होता है। सभी पाठशालाओं में पूर्ण संख्या में सुयोग्य शिक्षिकाओं को नियुक्त करने पर सभी राज्य सरकारों को जोर देना चाहिए।

6. लड़कियों को अधिकार तथा विवाहित महिलाओं के अधिकारों तथा उन पर की जाने वाली हिंसा का प्रतिकार करने की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए।

7. शिक्षा में लिंग असमानता (Gender disparity) की भावना व प्रवृत्ति को कम करने का यथासम्भव उचित प्रयास किया जाना चाहिए।

8. यह हर्ष का विषय है कि आज भारत में प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय के लोग लड़कियों को पढ़ाने के इच्छुक हैं और प्रयत्नशील हैं और केन्द्रीय व राज्य सरकारें और कई गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी उनके लिए कई उपयोग कार्यक्रम और योजनाएँ चला रहे हैं। इनके फलस्वरूप आज भारतीय लड़कियाँ सभी क्षेत्रों व व्यवसायों में आशानुसार प्रगति कर रही हैं और सफलताएँ प्राप्त कर रही-हैं। सभी लड़कियों को ऐसी सुविधाएँ दिलवायी जानी चाहिए। लड़कियों के सशक्तिकरण होने से ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है।

Scanned with CamScanner